Rajasthan State Commission for Women
Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur

Ph. 2779001, 2779004,
Fax: 2779002
E-mail : raj. rajyamahilaaaayog@gmail.com

No. 8040

Date: 29/6/12

Hon'ble Justice S.N. Bhargava
Chairperson, Muktidham,
Muktiashram, Virat Nagar
Jaipur.

Subject : Acceptance for joint collaboration.

Ref : Your Letter dated 01.05.12

Sir,

I have been directed to convey to you the acceptance of the Hon'ble chairperson for joint collaboration in "State level Public Herarings" and "State Level Awareness Campaingns" with your organisation.

Warm regards,

Yours truly,

29/6/12

(Dr. Neelam Raisinghani)
PS to Chairperson,

ltr English

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः– एफ–1( ) संस्था–रालसा/2014/3186 दिनांकः– 30-5-2014

प्रेषितिः–

अध्यक्ष,
तालुका विधिक सेवा समिति,
विराटनगर,
जिला –जयपुर (राज0)

विषयः– "मुक्तिधाम संस्थान" एवं राका चैरिटेबल ट्रस्ट जयपुर द्वारा विधिक आमुखीकरण कार्यशालाओं के आयोजन के क्रम में।

प्रसंगः– मुक्तिधारा, मुक्तिधाम आश्रम थानागाजी का पत्र दिनांक 20.05.2014

महोदय,

उपरोक्त विषय प्रसंग में माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार लेख है कि माननीय न्यायाधिपति श्री जस्टिस एस.एन. भार्गव, चेयरमेन, मुक्तिधारा संस्थान "मुक्ति आश्रम" विराटनगर जयपुर एवं राका चैरिटेबल ट्रस्ट जयपुर द्वारा आपके न्यायक्षेत्र में राजस्व ग्राम स्तर पर त्रैमासिक एक–एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशालाओं का निरन्तर आयोजन करना प्रस्तावित है।

उपरोक्त कार्यशालाओं की समस्त व्यवस्थायें एवं आवश्यक समस्त खर्च उक्त संस्थाओं द्वारा किये जायेंगे।

अतः उक्त वर्णित संस्था के पत्र की छाया प्रति प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि इनके द्वारा आयोजित की जानी वाली त्रैमासिक एक–एक दिवसीय कार्यशालाओं के आयोजन कराने में यथा योग्य सहयोग प्रदान करने का श्रम करें तथा उक्तानुसार आयोजित कार्यशालाओं की रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर।
दिनांकः 30-5-2014

क्रमांकः–3187–88

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला जयपुर।
2. माननीय न्यायाधिपति एस.एन भार्गव चैयरमेन, मुक्तिधाम संस्थान मुक्तिआश्रम विराटनगर जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

30/5/14
सदस्य सचिव

C/C

कार्यालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजिट्रेट, थानागाजी ,जिला अलवर

कमांक : 40 दिनांक : 11-6-014

प्रेषिति : श्री रतनकात्यायनी
सचिव,
मुक्तिधारा,
मुक्तिआश्रम,विराटनगर,
जिला जयपुर.

विषय : मुक्तिधारा संस्थान एवं रांका चैरिटेबिल टस्ट जयपुर द्वारा
विधिक आमुखीकरण कार्ययशालाओं के आयोजन के कम में।

संदर्भ : श्रीमान् सदस्य सचिव, राज.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर
पत्रांक एफ–1 संस्था–रालसा / 2014 / 3189 दिनांक 30.05.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र की अनुपालना में लेख है कि आपके द्वारा श्रीमान् चैयरमैन राज.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर को मुक्तिधारा एवं रांका चैरीटेबिल ट्रस्ट जयपुर के सहयोग से तालुका विधिक सेवा समिति थानागाजी ,जेला अलवर एवं तालुका विधिक सेवा समिति विराटनगर जिला अलवर के अन्तर्गत एक एक दिवसीय विधिक आमुशीकरण कार्यशालाओं के आयोजनों को लेकर पत्र प्रेषित किया गया था। जिसकी एक प्रति संलग्न की जाकर इस कार्यालय को भी प्रेषित की गयी है। आपके द्वारा आयोजित किये जाने वाली त्रैमासिक एक एक दिवसीय कार्यशालाओं के आयोजन में यथा योग्य सहयोग प्रदान करने के लिये तथा उक्तानुसार आयोजित कार्यशालाओं की रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु इस कार्यालय को निर्देशित किया गया है।

अतः हम उक्त निर्देशानुसार आपको हर सम्भव सहयोग करने के लिये तैयार हैं।

सादर।

(बालकृष्ण कटारा)
सिविल न्यायाधीश (क०ख०)
एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
थानागाजी (अलवर)

!! कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर !!

क्रमांक/जिविसेप्रा./अलवर/2012/1944 दिनांक 30-11-2012

प्रेषिति :

सचिव,
मुक्ति धारा संस्थान,
मुक्ति आश्रम, विराटनगर (जयपुर)

विषय : थानागाजी एवं राजगढ़ विकास खंडों पर एक दिवसीय विधिक आमुखीकरण के कम में।

सन्दर्भ : आपका पत्र दिनांकित 21.11.2012

महोदय,

आपके द्वारा राजगढ़ मुख्यालय पर दिनांक 21.12.2012 को एवं थानागाजी मुख्यालय पर दिनांक 22.12.2012 को किये जाने वाले एक दिवसीय विधिक आमुखीकरण कार्यशाला के आयोजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जिला एवं सेशन न्यायालय,
अलवर (राज०)

कार्यालय तहसीलदार, तहसील विराटनगर, जयपुर

क्रमांक : विविध/2013 /215 दिनांक : 23.08.2013

जिला कलक्टर महोदय

जयपुर

विषय :– धानका जाति के प्रमाण पत्र के कम में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 22.08.2013 को तहसील कार्यालय विराटनगर में धानका जाति के व्यक्तियों ने मुक्ति धारा, विराटनगर के माध्यम से एक पत्र जिसके साथ माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की सिविल रिट पिटिशन नम्बर 8427/2011 के आदेश दिनांक 08.07.2013 की प्रति पेश कर धानका जाति के व्यक्ति के जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति के बनाये जाने के संबंध में पेश किया है। धानका जाति के प्रमाण पत्र इस कार्यालय द्वारा काफी लम्बे समय से नहीं बनाये जा रहे है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुक्ति धारा के ज्ञापन की प्रति के साथ संलग्न माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.07.2013 व श्रीमान जिला कलक्टर अलवर द्वारा जारी पत्र क्रमांक : न्याय/2012/5918 दिनांक 21.08.2013 की छायाप्रति भिजवायी जाकर निवेदन है कि मार्गदर्शन प्रदान करें कि धानका जाति के प्रमाण पत्र अनुसूचिज जनजाति के बनाये अथवा नहीं ।

रिपोर्ट अग्रिम आदेशार्थ सादर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

तहसीलदार

विराटनगर

क्रमांक : विविध /2013 /215 दिनांक :- 23.08.2013

प्रतिलिपि :- श्री-रतन कात्यायनी, सचिव, मुक्तिधारा मुक्तिआश्रम विराटनगर को सूचनार्थ।

तहसीलदार विराटनगर

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक : एफ 4(9)( )विकास/2006/ ५१५५ दिनांक : 20.3.2006

जिला कलक्टर
जयपुर/अलवर ।

विषयः— घुमन्तू जाति के परिवारों को भूखंड आवंटन बाबत।

महोदय,

मुक्तिधारा संस्था, विराटनगर द्वारा यह अवगत कराया गया है कि घुमन्तू जाति, जैसे— गाड़िया लुहार, नट आदि जातियों के कई परिवार आवास सुविधा न होने के कारण खुले में जीवन—यापन करने के लिये मजबूर हैं। राज्य सरकार द्वारा गरीब व्यक्तियों के लिये आवास निर्माण की सहायता विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी जाती है। इस सहायता को प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि आवेदनकर्ता के पास भूखंड हो।

कई पंचायतों के पास आबादी भूमि न होने से ऐसे परिवारों को भूखंड आवंटित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। पंचायतों द्वारा राजकीय भूमि में से आबादी भूमि दिये जाने के लिये आवेदन किये गये हैं जिन पर त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है। अतः आपके जिले में स्थित पंचायतों के द्वारा इस प्रकार के व्यक्तियों के लिये निशुल्क भूखंड आवंटित करने हेतु आबादी भूमि की आवश्यकता दर्शाते हुए आवेदन किया जाता है तो उसे नियमानुसार शीघ्र आबादी भूमि इस कार्य हेतु पंचायत को दी जाये ताकि पंचायत राज्य सरकार के नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को निशुल्क भूखंड आवंटित कर सके।

भवदीय

(राजेन्द्र भाणावत)
संभागीय आयुक्त

प्रतिलिपि :—

श्री रतन कात्यायनी, सामाजिक कार्यकर्ता, मुक्तिधारा, मुक्ति आश्रम, विराटनगर (जयपुर)

संभागीय आयुक्त

ाजयपुर ाविद्युत ावतरण ानगम ालामटड़
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (पवस) अलवर

कमांक : जेपीडी/अअ/पवस/अल/तक./पत्रा/प्रें 2053 दिनांक :– 1/6/2010

श्रीमान् वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
बाघ परियोजना सरिस्का,
अलवर (राजस्थान)

विषयः– ग्राम पंचायत राजोरगढ (तहसील राजगढ़) के अन्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण के क्रम में

उपरोक्त विषय में लेख है कि मुक्तिधारा संगठन ने अपने पत्र दिनांक 26.05.2010 के द्वारा ग्राम पंचायत राजोरगढ़ (तहसील राजगढ) के अन्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण का आग्रह किया है तथा यह भी अवगत कराया है कि ग्रामवासी विद्युत के अभाव में दयनीय स्थिति में अपना जीवनयापन कर रहे हैं। उपरोक्त क्षेत्र वन विभाग की सीमा में आता है जिसके कारण वन विभाग की अनापत्ती प्रमाण पत्र अति आवश्यक है।

अतः संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 26.05.2010 की एक प्रति संलग्न करते हुए लेख है कि वन क्षेत्र में पडने वाले ग्रामों में विद्युत कनेक्शन जारी करने के लिए अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी करने का श्रम करें जिससे निगम द्वारा नियमानुसार पत्रावलियां स्वीकार कर कनेक्शन जारी किये जा सकें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

अधीक्षण अभियंता (पवस)
जयपुर डिस्कॉम, अलवर

प्रतिलिपि सचिव, मुक्तिधारा संस्थान, मुक्ति आश्रम, विराट नगर, (जयपुर), राजस्थान को प्रेषित है।

अधीक्षण अभियंता (पवस)

1/6